विधानसभा,सामान्य निर्वाचन, 2022
संख्या-06/2022/82/तीस-4-2022-160/96

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषयः विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2022 में यातायात प्रबंध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े की दरों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1240(1)टीआर/2021-330टीआर/2016-2021, दिनांक 27.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन,2022 में अधिग्रहीत एवं उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हल्की एवं भारी वाहनों के किराये भाड़े की दरों के निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में यातायात प्रबंध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े की दरों का निर्धारण पूर्व में शासनादेश संख्या-04/2017/65/तीस-4-2017-160/96, दिनांक 19.01.2017 द्वारा किया गया था। शासनादेश संख्या-9/2019/527/तीस-4-2019-160/96, दिनांक 19.3.2019 द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2017 की तुलना में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबंध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरांत विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2022 हेतु उक्त शासनादेश संख्या-9/2019/527/तीस-4-2019-160/96, दिनांक 19.3.2019 में हल्के मोटरयान तथा भारी मोटरयान हेतु निर्धारित किराये भाड़े की दर में क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-9-3535-दस-2021-22 दिनांक 12-01-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-06/2022/82(1)/तीस-4-2022-160/96 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) सी0ए0ए0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
7. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।